विविध बैंक प्रकरण संख्या 13/2022(GCMS : 2022/17) ईक्विटास स्मॉल फाईनेंन्स बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड़, अन्ना सलाई चेन्नई–600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–302019 बनाम 1. सतवीर सिंह पुत्र तेज सिंह पता वार्ड नं 04, 34 एलएनपी, पदमपुरा बिजबेला जिला गंगानगर 2. किरन कौर पत्नी सतवीर सिंह पता वार्ड न. 04, 34 एलएनपी, पदमपुरा, बिंजबेला जिला गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव मिढा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने आज कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण सतवीर सिंह एवं किरण कौर को ऋण सुविधा के रूप में 2,39000/– (अखरे रूपये दो लाख चालीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 25.01.2019 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सतवीर सिंह द्वारा अपनी सम्पत्ति पट्टा नं.05, प्लाट नं. 106 ए (क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट) ग्राम 39 एलएनपी, पदमपुर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 04.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया । अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 04.06.2021 को 2,35,294/– रूपये ऋण राशि व इसके [illegible] अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक [illegible]2021 को 60 दिवस का उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए [illegible] किया गया। उक्त धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है जिसके ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 13/2022(GCMS : 2022/17) ईक्विटास स्मॉल फाईनेंन्स बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड़, अन्ना सलाई चेन्नई–600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–302019 बनाम 1. सतवीर सिंह पुत्र तेज सिंह पता वार्ड नं 04, 34 एलएनपी, पदमपुरा बिजबेला जिला गंगानगर 2. किरन कौर पत्नी सतवीर सिंह पता वार्ड न. 04, 34 एलएनपी, पदमपुरा, बिंजबेला जिला गंगानगर

13.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव मिढा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने आज कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण सतवीर सिंह एवं किरण कौर को ऋण सुविधा के रूप में 2,39000/– (अखरे रूपये दो लाख चालीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 25.01.2019 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सतवीर सिंह द्वारा अपनी सम्पत्ति पट्टा नं.05, प्लाट नं. 106 ए (क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट) ग्राम 39 एलएनपी, पदमपुर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 04.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया । अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 04.06.2021 को 2,35,294/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2021 को 60 दिवस का उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है जिसके ऑन लाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी सतवीर सिंह **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई सम्पत्ति पट्टा नं.05, प्लाट नं. 106 ए (क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट) ग्राम 39 एलएनपी, पदमपुर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण सतवीर सिंह, किरन कौर** को 2,39,000/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख उन्नतालिस हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 25.01.2019 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी सतवीर सिंह **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास अपनी सम्पत्ति** पट्टा नं.05, प्लाट नं. 106 ए (क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट) ग्राम 39 एलएनपी, पदमपुर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **04.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.06.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा लिया जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है तथा दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में प्रार्थी बैंक के पास अप्रार्थी ऋणी जीत सिंह **की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति** पट्टा नं.05, प्लाट नं. 106 ए (क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट) ग्राम 39 एलएनपी, पदमपुर, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.06.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.06.2021 को 60 दिवस में बकाया ऋण राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण **सतवीर सिंह एवं किरन कौर** को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक/प्राप्ति रसीद की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह नहीं बताया गया कि ऋणी द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आपत्तिया/अभ्यावेदन पेश किये गये है अथवा नहीं? और उन पर विचार कर ऋणियों को सूचित किया गया है अथवा नहीं?** ऐसा अंकित **नही किया गया है, जो धारा 14** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(3ए) के अनुसार आवश्यक है जो निम्न प्रकार से है :

> **13. Enforcement of security interest :**
>
> **(3A) if, on receipt of the notice under sub-section(2),** the borrower makes any representation or raises any objection, the secured creditor shall consider such representation or objection and if the secured creditor comes to the conclusion that such representation objection is not acceptable or renable, he shall communicate [within fifteen days] of receipt of such representation or obrection the reasons for non-acceptance of the representation or objection to the borrower.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में की धारा 7 निम्न प्रकार से है :

> **Chief Metropolitan Magistrate of District Magistrate to assist secured creditor in taking possesion of secured asset :**
> (vii) the objection or representation in reply to the notice received from the borrower has been considered by the secured creditor and reasons for non-acceptacne of such objection or representation had been communicated to the borrower :
> -----------
> (ix) that the provisions of this Act and the rules made thereunder had been compiled with.

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726-State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> 13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; Karnataka State Road Trasnport Corporation Vs. Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का **खारिज किया जाता है।** प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested